भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2052

उत्तर देने की तारीख: 17.12.2025

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों का पुनर्वास

2052. श्री संदोष कुमार पी:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 31 अगस्त, 2025 की स्थिति के अनुसार, देश में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की राज्य-वार सूची क्या है;

(ख) 31 अगस्त, 2025 की स्थिति के अनुसार, देश में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के पुनर्वास हेतु आवंटित धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) हाथ से मैला उठाने वाले उन कर्मियों की राज्य-वार संख्या कितनी है जिन्हें आय के नए स्त्रोत प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई; और

(घ) हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के पुनर्वास कार्यक्रम की व्यवहार्यता क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क): वर्ष 2013 और 2018 में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों को चिह्नित करने के लिए दो सर्वेक्षण किए गए हैं। इनके अनुसार, 58098 पात्र हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों को चिह्नित किया गया है। पात्र चिह्नित हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों का राज्य-वार ब्यौरा **संलग्नक-I** में दिया गया है।

(ख): इस योजना **के अंतर्गत** हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों **के पुनर्वास के लिए खर्च की गई** धनराशि **का राज्य-वार ब्यौरा संलग्नक-II में दिया गया है।**

(ग): आय के नए स्त्रोत के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों **की राज्य-वार संख्या संलग्नक-III** में दी गई है।

(घ): हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के पुनर्वास कार्यक्रम की व्यावहारिकता है, क्योंकि चिह्नित सभी 58098 हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों को एकबारगी नकद सहायता (ओटीसीए) प्रदान की गई है। इसके अलावा, 27928 हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों/आश्रितों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया है और 2652 को स्व-रोजगार परियोजनाओं के लिए पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की गई है, जिससे उन्हें आजीविका के वैकल्पिक स्रोत के अवसर मिलेंगे।

संलग्नक-I

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के पुनर्वास के संबंध में राज्य सभा में दिनांक 17.12.2025 को उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2052 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक-I

चिह्नित किए गए हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की राज्यवार संख्या

क.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चिह्नित हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	1793
2.	असम	3921
3.	बिहार	131
4.	छत्तीसगढ़	3
5.	गुजरात	105
6.	झारखंड	192
7.	कर्नाटक	2927
8.	केरल	518
9.	मध्य प्रदेश	510
10.	महाराष्ट्र	6325
11.	ओडिशा	230
12.	पंजाब	231
13.	राजस्थान	2673
14.	तमिलनाडु	398
15.	उत्तर प्रदेश	32473
16.	उत्तराखंड	4988
17.	पश्चिम बंगाल	680
	कुल	**58098**

संलग्नक-II

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के पुनर्वास के संबंध में राज्य सभा में दिनांक 17.12.2025 को उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2052 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक-II

इस योजना के अंतर्गत हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के पुनर्वास के लिए खर्च की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य	एकबारगी नकद सहायता	कौशल विकास प्रशिक्षण	स्वरोजगार परियोजनाओं के लिए पूंजीगत सब्सिडी
1	आंध्र प्रदेश	717.2	21.63	0
2	असम	1568.4	52.43	17.1889
3	बिहार	52.4	5.315	0
4	छत्तीसगढ़	1.2	0	0
5	गुजरात	42	1.96	0
6	झारखंड	76.8	0.775	0
7	कर्नाटक	1170.8	124.80158	1322.325
8	केरल	207.2	22.72742	0
9	मध्य प्रदेश	204	13.6	0
10	महाराष्ट्र	2530	160.41466	184.255
11	ओडिशा	92	0.62	38.29
12	पंजाब	92.4	12.98	26.215
13	राजस्थान	1069.2	267.67123	29.08
14	तमिलनाडु	159.2	2.6	23.08079
15	उत्तर प्रदेश	12989.2	2477.2811	811.531
16	उत्तराखंड	1995.2	261.27028	104.035
17	पश्चिम बंगाल	272	24.0892	746.185
कुल		**23239.2**	**3450.16547**	**3302.18569**

संलग्नक-III

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के पुनर्वास के संबंध में राज्य सभा में दिनांक 17.12.2025 को उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2052 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक-III

आय के नए स्त्रोत के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य	एकबारगी नकद सहायता	स्वरोजगार परियोजनाओं के लिए पूंजीगत सब्सिडी
1	आंध्र प्रदेश	1793	0
2	असम	3921	6
3	बिहार	131	0
4	छत्तीसगढ़	3	0
5	गुजरात	105	0
6	झारखंड	192	0
7	कर्नाटक	2927	861
8	केरल	518	0
9	मध्य प्रदेश	510	0
10	महाराष्ट्र	6325	65
11	ओडिशा	230	83
12	पंजाब	231	46
13	राजस्थान	2673	14
14	तमिलनाडु	398	78
15	उत्तर प्रदेश	32473	861
16	उत्तराखंड	4988	96
17	पश्चिम बंगाल	680	542
कुल		**58098**	**2652**
